प्रारूप 11

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में पूर्व निर्मित लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग के सिगड्डीस्रोत से चिल्लरखाल की ओर 3.300 कि0मी0 लम्बाई में ब्लैक टॉपिंग हेतु 0.990 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।**

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग के सुदृढीकरण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शा0सं0–3693/III(2)/17–12 (प्राआ0)/16 दि0 24/11/17 द्वारा लम्बाई 11.00 कि0मी0 हेतु लागत 995.71 लाख मात्र की प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष सिगड्डीस्रोत से चिल्लरखाल की ओर 3.300 कि0मी0 तक पूर्व निर्मित मोटर मार्ग में 3.00 मी0 चौड़ाई में ब्लैक टॉपिंग कार्य हेतु लैंन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार के लालढांग–रेंज के पापीडांडा खाम की आरक्षित वन भूमि में प्रस्तावित है, जिसके लिए 0.990 है वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग पूर्व निर्मित वन मोटर मार्ग है, जिस पर वर्तमान में यातायात सुचारू रूप से गतिमान है। उक्त भाग की सीमा पर भूवदेवपुर, मनदेवपुर, दलीपपुर, जयदेवपुर, आदि ग्राम लाभान्वित होंगे तथा लालढांग की ओर ग्राम नयागांव, चमरिया, लालढांग, जसपुर, ग्राम लाभान्वित होंगे। मार्ग वर्तमान में कच्चा होने के कारण वाहनों के आवागमन से स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः मार्ग पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु 3.300 कि0मी0 x 3.00मी0= 0.990 है0 आरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

अतः व्यापक जनहित में प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.990 हे0 आरक्षित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अमीन	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,	**निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,**	**निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,**
दुगड्डा–गढ़वाल	**दुगड्डा–गढ़वाल**	**दुगड्डा–गढ़वाल**